निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–78 / 21
दायरा दिनांक :–26.10.2021
निर्णय दिनांक :–26.05.2022

उनवान

1. रामकिशन पुत्र श्री केदारलाल
2. बद्रीलाल पुत्र श्री केदारलाल
3. भैरूलाल पुत्र श्री केदारलाल
4. बृजमोहन पुत्र श्री केदारलाल जाति मीणा निवासी सुन्दलक तहसील, बारां जिला बारां

बनाम

1. मनोज विजय (ठेकेदार) जाहन्वी कन्ट्क्शन कम्पनी, ऑफिस एल.आई.सी. बिल्डिगं कोटा रोड बारां जिला बारां
2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड बारां जिला बारां
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड बारां जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26.5.2022
अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल ग्राम मेलखेडी तहसील व जिला बारां में खाता संख्या नया 287 खसरा नम्बर 979 रकबा 2.21 है0, खसरा नम्बर 980 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.16 है0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त वर्णित विवादित आराजियात पर प्रार्थीगण/वादीगण संयुक्त तोर काबिज काश्त है तथा प्रतिवर्ष फसल बोते एवं फसल बोते एवं काटते चले आ रहे है। नलका तिराहा से सुन्दलक फाटक रोड के कन्ट्रक्शन का कार्य अप्रार्थी कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 2 व 3 से दिनांक 30.07.2021 जरिये विज्ञप्ति प्राप्त किया गया था जिसका वर्क ऑडर नम्बर 624 दिनांक [illegible].08.2021 अप्रार्थी कम 1 को अप्रार्थी कम 2 व 3 द्वारा दिया गया है। अप्रार्थी कम 1 वर्क ऑर्डर अनुसार नलका तिराहा से सुन्दलक फाटक के मध्य रोड का निर्माण करवा रहा है। अप्रार्थी कम 1 ने दिनांक 08.10.2021 को रोड

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

का निर्माण करने के दौरान प्रार्थीगण की विवादित आराजी पर की गयी फेंसिंग तार बाउण्ड्री को जे.सी.बी. मशीन नम्बर आर.जे. 28-टी. आई. 00927 व टेक्टर व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर दिया तथा जबरन प्रार्थीगण के खेत की फसल को नष्ट करते हुये विवादित आराजियात में से होकर रोड का निर्माण करने लगा। जिस पर प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा विरोध करने पर अप्रार्थी कम 1 ने प्रतिवादी कम 2 व 3 दिये गये वर्क ऑडर को दिखाते हुये धमकाया कि यह सरकारी काम तथा तुम्है जहां जाना है, वहां जाओ में काम बन्द नहीं करूंगा। काफी मिन्नते करने के बाद भी अप्रार्थी कम 1 द्वारा कार्य बन्द नहीं करने व धमकाने पर प्रार्थीगण/वादीगण ने अप्रार्थी कम 2 व 3 पी.डब्ल्यू.डी. विभाग कार्यालय पर जाकर निवेदन किया। जहां से प्रार्थीगण/वादीगण को यह कहकर कि बडा काम है। यह नहीं रूकेगा, यह कहते हुये भगा दिया और कोई सुनवायी नहीं की। अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है किवह जबरन प्रार्थीगण की विवादित आराजी में होकर रोड निकाले। प्राथीगण/वादीगण की खातेदारी की विवादित आराजियात पर अप्रार्थी कम 1 द्वारा दिनांक 08.10.2021 को प्रार्थीगण को बिना कोई नोटिस दिये जबरन अवैधानिक प्रवेश करते हुये प्रार्थीगण की खडी फसल को नष्ट किया गया तथा अप्रार्थी कम 2 व 3 द्वारा किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति प्रार्थीगण की आराजियात बावत सार्वजनिक तोर पर जारी नहीं की गयी है तथा अप्रार्थीगण खिलाफ कानून प्रार्थीगण की विवादित आराजियात पर से जबरन ताकत के बल पर रोड निर्माण करना चाहते है। जिसका उन्है कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ता फैसला वाद अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थीगण, विवादित आराजीयात वर्णित मद नम्बर 1 विवादित आराजी में जबरन ताकत के बल पर रोड का निर्माण नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मेंलखेडी सम्वत 2071-74 खाता संख्या 287 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है विवादित आराजी में गै0मु0 रास्ता दर्ज नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डामर सडक बनाई जा रही है। सडक निर्माण में हमारी सहमति नहीं ली बिना सहमति के मनमाने तरीके से सडक का निर्माण किया जा रहा है। जिस जगह पर सडक बनाई जा रही है। उस जगह पर हम खेती कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा हमारे खाते की लगभग 2.1/2 बीधा भूमि सडक में ले ली है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना मुआवजा के रोड निकाल दिया है। प्रार्थी के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। प्रतिवादीगण आगे निर्माण नहीं करे इस बाबत पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निर्णय तक किसी प्रकार की सडक निर्माण नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

बसह के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील अप्रार्थी का कथन है कि वहा पर पहले से रास्ता था। जिस पर उक्त व्यक्ति आता जाता रहता था। हमारे द्वारा नया रास्ता नहीं बनाया है। हमने पहले चालू रास्ता था उस पर ही सडक का निर्माण किया है। पहले कच्चा रास्ता था कच्चे रास्ते पर पक्की सडक बनाई है। पंचायत ने भ्झी रास्ता बनाया है। जनहित में काम आने के लिए सडक बनाई है। नलका तिराहे से 1100 मीटर तक नगर परिषद, बारां द्वारा फोरलेन रोड बना दिया है। उसके आगे मेलखेडी तक फोरलेन व मेलखेडी पूर्व प्रचलित रास्ता जिसमें होकर आवागमन चालू था उसी पर दो लेन डामर सडक बनाई गई है। प्रार्थीगण द्वारा सडक बनाते समय कोई आपत्ति पेश नहीं की गई ना ही स्थगन के बारे में कोई जानकारी दी गई। उक्त सडक को बनाये जाने को बाद हर्जाने की मांग की गई है। जो किसी प्रकार न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मेलखेडी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 287 प्रार्थीगण के खातेदारी मे दर्ज है। नायब तहसीलदार बारां से मौका कमिश्नर रिपोर्ट ली गई। मौका कमिश्नर रिपोर्ट में बताया कि प्रकरण ग्राम मेंलखेडी से बारां की ओर आने जाने वाले रास्ते से सम्बन्धित पाया गया जो राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं है। लेकिन पूर्व से कच्चा आम रास्ता बना हुआ था। जिस पर प्रार्थीगण आने जाने के लिए काम में लेते रहे है। ग्राम मेलखेडी के खसरा नम्बर 979 रकबा 2.21 है0, खसरा नम्बर 980 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.16 है0 भूमि बृजमोहन, बंशीलाल, भैरूलाल, रामकिशन पुत्र केदारलाल मीना निवासी सुन्दलक के नाम रास्ता दर्ज है। जिसमें से मौके पर खसरा नम्बर 1006 रकबा 0.16 है0 में से पश्चिम की तरफ मीटर 750 वर्ग मीटर तथा खसरा नम्बर 1005 रकबा 0.22 है0 में से पूरव की तरफ की 1750 वर्ग मीटर भूमि पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण रोड बना रखा है। मोके पर उक्त पक्के रोड की ग्रामीण जनों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थीगणों ने बताया कि हमारे खाते की भूमि का हमे किसी प्रकार का कोई मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं दिया गया है। जिसे दिलाया जाना अपेक्षित है। सरपंच ग्राम पंचायत सुन्दलक द्वारा जारी पत्र दिनांक 15.10. 2021 में बताया कि वर्तमान में सुन्दलक रेलवे फाटक से मेलखेडी सडक आधी डामर एवं आधी कच्ची बनी हुई थी। यह रोड लगभग 20 वर्षो से पूर्व से चालू आम रास्ता रहा है। मेलखेडी एवं अन्य गावं के लोग औद्योगिक क्षेत्र में होते हुए कोटा रोड तक इसका उपयोग करते आ रहे है। नकलका तिराहे से सुन्दलक फाटक तक चारलेन व दो लेन रोड स्वीकृत हुआ है। जिसे इसी चालू रास्ते पर बनाने में किस[illegible] ग्राम पंचायत वासियों को कोटा एवं बारां आने जाने में काफी सुविधा हुई है। आमजन की सुविधा को देखते हुए इस सडक का निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का निवेदन किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर व रिकार्ड के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

पर यह साबित होता है कि मौके पर रास्ता चालू था परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकित नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चालू रास्ते पर सडक का निर्माण किया जा रहा है। जिसकी पुष्टी मौका कमिश्नर रिपोर्ट व सरपंच की रिपोर्ट से होती है। प्रार्थी की भूमि में होकर वह रास्ता चालू था उसी रास्ते में सडक का निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त सडक से किसी प्रकार की अपरिमित आई नहीं होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.30 10:47:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner